।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 2926 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 10 /2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः– **जनपद चमोली के नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण**

संदर्भः– **वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज थराली की पत्र सं0 401/12 दिनांक 30.01.2021**

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज ~~देवाल~~ देवाल का उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित व इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल ने अपने संदर्भित पत्र में यह उल्लेख किया है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 1.583 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल सूया का स्थलीय निरीक्षण कार्यदायी संस्था के कर्मचारी व पूर्वी पिण्डर रेंज के कर्मचारी द्वारा किया गया है, उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयोगी नही पाया गया, जिसके स्थान पर आपके अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सूया सिविल में चिन्हित भूमि के स्थान पर दूसरे स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया, उक्त नये चिन्हित भूमि सूया सिविल का संशोधित डिजिटल मैप जी0पी0एस0 व के0एम0एल0 फाईल सहित यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner